an>

Title: Need to provide Rajasthan its allocated share of Satluj river water and also appoint a member from Rajashtan in Bhakra Beas Management Board.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) ः मैं केन्द्र सरकार का ध्यान भाखड़ा व्यास पूबंधन बोर्ड की तरफ दिलाने का आग्रह करूंगा। पहला अंतर्राज्यीय जल समझौता 29 जनवरी, 1955 को हुआ और राजस्थान प्रदेश को अपने हिस्से का पानी 8 एम.ए.एफ. मिलन तय हुआ। हरियाणा व पंजाब राज्यों के बनने के बाद पंजाब से राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला। 13 जनवरी, 1959 को राजस्थान व पंजाब के बीच सतलुज नदी के पानी को लेकर समझौता हुआ, फिर भी राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला। 31 दिसम्बर, 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में राजस्थान व पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता हुआ, जिसमें सतलुज नदी का पानी राजस्थान को देने का समझौता हुआ। आज भी पंजाब, राजस्थान को पूरा पानी नहीं दे रहा है। अंतर्राज्जीय जल समझौते के अनुसार राजस्थान को 8.6 एम.ए.एफ. पानी आवंटित हुआ था, परंतु पंजाब आज भी 8 एम.ए.एफ. पूरा पानी भी राजस्थान को नहीं दे रहा है। 24 जून, 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने तीनों (राजस्थान, पंजाब व हरियाणा) राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में राजस्थान का पूरा पानी (8.6 एम.ए.एफ.) देने का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक पूरा पानी नहीं दिया गया।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में मध्यस्थता कर पंजाब से पूरा पानी राजस्थान प्रदेश को दिलवाने में मदद करे एवं आज तक भाखड़ा व्यास पूबंधन बोर्ड में पंजाब एवं हरियाणा का सदस्य ही नामित हुआ है, राजस्थान से एक बार भी सदस्य नामित नहीं हुआ, जबकि समझौते के अनुसार ऐसा होना चाहिए था। राजस्थान का सदस्य भी भाखड़ा व्यास पूबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में नामित हो, ऐसा केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा।